Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार

स्वत्व वाद सं.-312/11

जयेश कुमार एवम अन्य बनाम निर्मला देवी एवम अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
09/02/24	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादी गण की कोइ पैरवी नही है | वादी की ओर से आ.22 नि.3,9 दिवानी प्रक्रिया संहिता एवम धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 27/04/22 पर सुनवाई एवम आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया |पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए | उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि इस वाद के वादी संख्या 1 सुरेन्द्र प्र.जायसवाल की मृत्यु दिनांक 23/12/21 को हो गई है जो अपने पिछे अपनी पत्नी देवता देवी,पुत्र कुमार सागर पुत्री सीमा भगत को छोड कर मरे हैं | मृत्यु की जानकारी वादी स.3 को बाहर रहने के कारण विलम्ब से हुइ जिस कारण से वादी नियत समय मे यह आवेदन प्रस्तुत नही कर सका है अत: विलम्ब को माफ कर उपशमन को अपास्त कर वाद से वादी सं.1 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाए जाने की कृपा की जाय | प्रतिवादीगण द्वारा प्रति उत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी की ओर से यह आवेदन जानबूझकर विलंब से लाया गया हैतथा वादी संख्या एक की मृत्यु का कोई भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण से वादी का उक्त आवेदन विधि के अंतर्गत पोषणीय ना होने से खारिज किए जाने योग्य है | वादी पक्ष को सुना , प्रतिवादी सुनवाई मे उपस्थित नही हुए | अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद के वादी संख्या 1 की मृत्यु हो गई है जिसकी जानकारी वादी को नही होने से वादी सं.3 नियत समय मे यह आवेदन नही ला सके है | वाद के प्रभावी एवम न्यायपूर्ण निराकरण के लिए वादी सं.1 के विधिक वारिसान को अभिलेख पर लाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है अत: न्यायहित मे वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन को विलम्ब को माफ करते हुए स्वीकृत कर उपशमन को अपास्त कर वाद से वादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।वादी को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की तिथि से 14 दिन के भीतर वादपत्र में संशोधन करें | वाद आगामी दिनांक 28/02/23 समन सामग्री हेतु नियत। लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	